UPGB010046512026

न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय/विशेष न्यायाधीश(एस.सी/एस.टी. एक्ट)
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1801/2026

हिमान्शु ठाकुर पुत्र राम ठाकुर

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य

1. प्रार्थी/अभियुक्त हिमान्शु ठाकुर द्वारा मु.अ.सं. 163/2026 अंतर्गत धारा–61(2), 115(2),121(1),121(2),125(1),191(1),191(2),351(3),352 बी0एन0एस0 7 क्रि0 लॉ0 एक्ट थाना फेस–02, जिला गौतमबुद्वनगर में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री हारून राणा एवं मनीशा चन्द्रवंशी तथा अभियोजन की ओर से श्री धर्मेन्द्र जयन्त विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना एवं अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

3. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 10.04.2026 को समय करीब 09.00 बजे प्रातः थाना फेस–2 पर सूचना प्राप्त हुई कि बी–32/33 रिचा ग्लोवल होजरी काम्पलैक्स व रिचाको एक्सपोर्ट की 09 ईकाई के अलावा पैरामाउन्ट एक्सपोर्ट, रैनवो, सोनू एक्जिम, अनुभव एप्रैल्स, मीनू क्रिएशन, क्लासिक कन्सेन्ट, ग्लोबल एप्ट होजरी काम्पलेक्स के कर्मचारीगण अपनी–अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे। उनमें से कुछ लोगों द्वारा ड्यूटी पर जाने से कर्मचारियों को रोककर इकट्ठा होकर थाने का घेराव करने की बात करने लगे, जिन्हें बैरियर, रस्सा लगाकर रोकने का प्रयास किया गया, परन्तु वे अपनी मागे वेतन बढ़ाना छुट्टियां व ओवरटाइम आदि की मागें करने लगे तथा काफी संख्या में लोग लगभग 300–400 थाने का घेराव करने लगे, रस्सा बैरियर लगाकर थाने से पहले रोका गया एवं समझाया बुझाया गया। इस सूचना पर उच्चाधिकारीगण व अन्य पुलिसबल व पीएसी बल के साथ मौके पर पंहुचे काफी समझा–बुझाकर उनको बी–32/33 रिचा ग्लोबल के सामने पार्क में एकत्रित कर वार्ता की गयी। अपनी अनुचित एवं असंवैधानिक मांगो को पूरा कराने के लिए राज्य सरकार पर दबाव डालने के उद्देश्य से उग्र एवं हिसक प्रदर्शन करने के लिये थाना फेस–2 क्षेत्रान्तर्गत स्थित बी–32/33 रिचा ग्लोवल होजरी काम्पलैक्स व रिचाको एक्सपोर्ट की 09 ईकाई के अलावा पैरामाउन्ट एक्सपोर्ट, रैनबो, सोनू एक्जिम, अनुभव एप्रैल्स, मीनू क्रिएशन, क्लासिक कन्सेन्ट, ग्लोवल एप्ट होजरी काम्पलेक्स के कर्मचारीगण है, जिनका उद्देश्य अपनी अवैध व अनुचित मागों के लिये हिंसक प्रदर्शन करना है, जिनमें मुख्य रूप से 1–रूपेश राय मो० न0–9599067749, 2–आदित्य आनन्द पुत्र अमित कुमार देव मो0 न0–8210190662, व 500–600 पुरूप/महिला नाम–पता अज्ञात अतिशय सक्रिय भूमिका निभा रहे है। एकत्रित हुई असामाजिक व उपद्रवी लोगों की भीड, जिसका नेतृत्व उपरोक्त नामित लोगों द्वारा अतिशय आक्रामक रूप से किया जा रहा था, से शान्ति पूर्वक वार्ता कर समस्या का हल निकाले जाने हेतु आश्वस्त करने का प्रयास किया जा रहा था। उपस्थित उच्चाधिकारियो ने भी हर सम्भव प्रयास किया, प्रन्तु उक्त हिंसक भीड जो अवैध हथियार लिये हुए थी, को उपरोक्त नामित व्यक्तियों द्वारा बार–बार उकसाकर व दुष्प्रेरित कर अधिकारियों की वार्ता को सआशय विफल किया जा रहा था। जिसके उपरान्त उपरोक्त नामित व्यक्ति मय भीड एकराय होकर पार्क से निकलकर सेक्टर 183, सेक्टर 84. भीड सेक्टर 85 होते हुए फेस–2 चौराहे पर आयी, जिसे रोका गया व समझाया गया, परन्तु उग्र हो गई और फेस–2 बस स्टैण्ड से 200 मीटर आगे एनएसईजेड मैट्रो की तरफ मैन दादरी रोड पर जाम लगा दिया। मौके पर उपस्थित उच्चाधिकारीगण एवं पुलिस बल द्वारा काफी समझाने बुझाने का प्रयास किया गया, परन्तु उक्त हिंसक भीड और

अधिक उग्र होकर शेरे पंजाब होटल तिराहा होजरी काम्पलेक्स पर पंहुच गयी और मैन दादरी रोड जाम लगा कर पुलिस बल पर पथराव करने लगे, जिससे आने जाने वाले राहगीर भयभीत होकर चप्पल जूते छोडकर भागने लगे एवं आस–पास के दुकानदारों एवं आम जनमानस में भय व्यापत हो गया एव भगदड़ मच गयी। उपरोक्त नामित व्यक्तियों एवं उग्र भीड के द्वारा ड्यूटी पर मौजूद पुलिस कर्मियों के साथ धद्धा मुक्की, मारपीट एव गाली–गलोज कर जान से मारने की धमकी देते हुए पथराव किया गया, जिससे कई पुलिसकर्मियों को गुम चोटे एव शार्प इन्जरी आयी है। उसके पश्चात उक्त भीड को वार्ता हेतु मण्डी परिसर में उपस्थित लेबर विभाग के डिप्टी लेबर कमिश्रर गौतमबुद्धनगर व अन्य प्रशासनिक उच्चाधिकारीगण मण्डी परिसर सेक्टर 88 जाकर वार्ता करने हेतु कहा गया। काफी मान मुन्नवर के पश्चात इनको मण्डी में लाकर लेबर विभाग के डिप्टी लेबर कमिश्नर गौतमबुद्धनगर व अन्य प्रशासनिक उच्चाधिकारीगण से वार्ता करायी गयी। लेबर कमिश्रर एवं प्रशासनिक अधिकारीगण द्वारा मागें पूरी करने का आवासन दिया गया, जिसके बाद वे लोग वहां से जाने लगे। उसके बावजूद भी सूचना मिली कि बी–32/33 रिचा ग्लोबल होजरी काम्पलैक्स व रिचाको एक्सपोर्ट की 09 ईकाई के अलावा पैरामाउन्ट एक्सपोर्ट, रैनबो, सोनू एक्जिन, अनुभव एप्रैल्स, मीनू क्रिएशन, क्रासिक कन्सेन्ट, ग्लोबल एप्ट होजरी काम्पलेक्स के कर्मचारीगण के द्वारा कुलेसरा थानाक्षेत्र ईकोटेक–3 सेन्ट्रल नोएडा पंहुचकर समय करीब 19.00 बजे दादरी रोड जाम कर दिया गया, जिसमे उच्चाधिकारीगण द्वारा पुनः समझाया गया। सेक्टर 85 में भी इसी प्रकार का प्रदर्शन किया गया। कुलेसरा में भी पुलिस बल पर पथराव किया गया, जिसमें भी कई पुलिसकर्मी को गुम चोट लगी है, जिससे फेस–2 व कुलेसरा क्षेत्र में अराजकता । अफरातफरी का माहौल रहा तथा जिस कारण स्थानीय कानून व्यवस्था पूरी तरह छिन्न–भिन्न हो गयी तथा घटनास्थल औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण यहां स्थापित अन्य निर्माण एवं वित्तीय सस्थानों में भी विपरीत एवं प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और उपरोक्त कम्पनियों में नियुक्त प्रबन्धक, परमानेन्ट स्टाफ, एवं सिक्योरिटी स्टाफ आदि भी इस हिंसक प्रदर्शन से भयभीत है। दिनांक 11.01.2026 को भी पूर्व से खानाशुदा वादी मुकदमा कार्यवाहक थाना प्रभारी फेस–2 गौतमबुद्धनगर एवं उच्चाधिकारीगण भ्रमण पर थे, तो सूचना प्राप्त हुई कि मदरसन कम्पनी सैक्टर 84 पर उपरोक्त नामित लोगों के द्वारा भीड लगभग 1500–2000 वर्करों को उकसाकर जाम लगाया गया। यह मुख्य रोड है, जो दादरी की तरफ जाता है जिसके कारण लगभग 03 घन्टा यातायात बाधित रहा। उच्चाधिकारीगण द्वारा मदरसन कम्पनी के प्रबन्धको से वार्ता की गयी। काफी प्रयास के बाद इनको समझाया बुझाया गया। पैरामाउन्ट की 07 कम्पनी सैक्टर 85 में है, जहां कुछ अज्ञात लोग वर्करों को भडकाने पंहुच गये और फिर वहां से सभी कम्पनियों को बन्द कराते हुए मजदूरों को बाहर लाते हुए रिचाको कम्पनी सैक्टर 84 नोएडा पर लगभग 2000 वर्करो की भीड एकत्र हो गयी और वहां भी लगभग 4 घन्टा हंगामा करते रहे, जिस पर उच्चाधिकारीगण एवं लेबर विभाग से डिप्टी लेबर कमिश्नर गौतमबुद्धनगर को भेजकर के प्रबन्धको से बात कर उनको समझा बुझाकर सडक को खाली कराया गया। इसके पश्चात एनएसईजेड मैट्रो स्टेशन के नीचे व भंगेल एलिवेटिड फ्राईओवर के पास भी उपरोक्त नामित लोगों के द्वारा उकसाये गये वर्करो द्वारा जाम लगा दिया गया, जिससे थानाक्षेत्र में अफरातफरी का माहौल पैदा हो गया। उच्चाधिकारीगण एवं डिप्टी लेवर कमिश्नर गौतमबुद्धनगर द्वारा वार्ता की गयी। काफी प्रयास के बाद इनको समझाया बुझाकर भेजा गया। फैक्ट्रियो के स्टाफ एवं सिक्योरिटी गार्डस द्वारा कुछ लोगो के नाम व भोवाइल नम्बर उपलब्ध कराये गये, जो निम्नवत है–1–रूपेश राय मो०न0– 9599067749, 2– आदित्य आनन्द पुत्र अमित कुमार देव मो०न०–8210190662, 3–रीता राय, 4 आकृति, 5– श्रष्टि, 6– मनीषा 7. विकास पुत्र हरीश्वन्द मो०–8869003942, 8. अनुज पुत्र राम सागर मो0–9580912289, 9. सुमित पुत्र मदनफल मो0–9289595058, 10. अफसान पुत्र मुस्सरफ अली मोध–7275204972, 11. निधुन पुन सुमेर मो0 7607319006, 12. प्रवेज पुत्र जावेद अंसारी मो0–9821504697, 13. फिरोज पुत्र विनोद कुमार मो0–9958095661, 14. सौत्रम पुत्र दाताराम मो0–8580849334, 15. सचिन पुत्र चरण सिंह मो0–9582503497, 16. अखिलेश पुत्र डालचन्द मो०–7266016930, 17. शैलेन्द पुत्र हरिन्द सिंह मो० 7250032033, 19. तौसिफ पुत्र दुलारे मो0–7881128056, 20. लवकुश पुत्र मूल चन्द मो0–8173868132, 21. सूरज पुत्र ओमप्रकाश मो० 8859119296, 22, अमित पुत्र महेश्वरी प्रसाद मो० 8825345351, 23. अविरल पुत्र फतेह बहादुर मो0–9779892114, 24. सोमवीर पुत्र पूरनसिहं मोट 8630340997, 25. साहिल पुत्र प्रमोद मो० 9625561464, 26.

मृत्यजय कुमार पुत्र विक्रमाराम मो0–8052787214, 27. अभिषेक पुत्र संजय मो० 8194062099, 28, केशय पुत्र केदार मो0–8800694584, 29. अतुल पुत्र अशोक मो0–976085–4541, 30. नितेश पुत्र जयनारायण मो0–8756561526, 31. हेमन्त पुत्र प्रेन नारायण मो0–93106–44162 32. श्रयण राजभर पुत्र महेश राजभर मो०–8799465026, 33. धीरज पुत्र अमर सिंह नो०–9458012228, 34. कपिल पुत्र अशोक मो0–9859517218, 35. प्रमात्मा नन्द पुत्र कमलेश मो०–9155941162, 36. गौरव पुत्र विजय सिंह मो0 7217771273, 37. शुभम कुमार पुत्र मुकेश मो0–6202072212, 38. इरफान पुत्र निसार मो0–9027416124, 39. आकाश पुत्र राकेश मो0–7505853150, 40. गौरव पुत्र लक्ष्मी शकर मो0–6352772556, 41– सोनू मो० 991047817342, 42 सजीव मो0 8287084829, 43. संजय शर्मा मो० 9716349061, मो0न0–9015815284, मो०न0 –9829535073, मो०न०–9711008727, मो0 न0–9352461467, जिनके द्वारा फैक्ट्री में काम कर रहे वर्करों को भडका कर जबदस्ती करके फैक्ट्री से बाहर निकालकर चौराहे पर जाम लगाया गया, जिसका नेतृत्व उपरोक्त नामित व्यक्तियों द्वारा किया गया है। उपरोक्त नामित व्यक्तियों एवं भीड के द्वारा कारित किया गया यह कृत्य धारा 191 (1)/191(2)/115(2)/121(1)/125(1)/351(3)/352 बीएनएस व 7 क्रिमिनल लॉ एमेन्डमेन्ट एक्ट 1932 की हद को पहुंचता है। अतः उपरोक्त नामित व्यक्तियों एवं 1500–2000 उग्र भीड पुरूप महिलाओं के विरुद्ध धारा 191(1)/191(2)/115(2)/ 121(1)/125(1)/351(3)/352 बी.एन.एस. व 7 क्रिमिनल लॉ एमेन्डमेन्ट एक्ट 1932 में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की गयी।

4. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन के प्रस्तर 1 ता 16 पर बल देते हुए यह तर्क दिया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है तथा उसने किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी/अभियुक्त प्रार्थी/अभियुक्त की कोई शिनाख्त परेड नहीं कराई गई है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त ने तो कम्पनी का कर्मचारी है और न ही प्रार्थी/अभियुक्त ने तोड़फोड़ की है। प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है। इस प्रकार का कोई कथन नहीं है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा किसी वाहन को जलाया गया हो या सार्वजनिक या सम्पत्ति को क्षति कारित की हो। प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह अंकित है कि पुलिसकर्मी द्वारा घटना की विडियोग्राफी की गयी थी। उसके उपरान्त भी प्रार्थी/अभियुक्त की मौके पर उपस्थित होने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया जो षडयन्त्र को इंगित करें। अभियोजन का मामला किसी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पर प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध कोई सी0सी0टी0वी0फुटेज कोई बरामदगी अन्य सहअभियुक्त के साथ कोई वार्ता, जो षडयन्त्र को दर्शित करें, ऐसा साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। मामले में कोई स्वतन्त्र गवाह नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त कई समूहो से जुड़ा हुआ है परन्तु उक्त समूहो पर सरकार द्वारा कोई बंदिश नहीं लगाई गई है और न ही उक्त समूह अविधिक कहे गये है। वैचारिक वार्ता एवं सांस्कृतिक, शैक्षिक गतिविधियां ही उक्त समूहो में होती है। अभियोजन द्वारा एक भी ऐसा दस्तावेज, चैट, मैसेज, पोस्ट इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो अभियुक्त को अभिकथित हिंसा में अविधिक गतिविधियों में होना सम्मिलित करें। समूह द्वारा कारित की गई हिंसा में सभी व्यक्तियों को सम्मिलित रूप से आपराधिक कृत्य हेतु उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। यदि अभियोजन का कथन स्वीकार कर लिया जाये तो उस दशा में भी दिनांक 13.04.2026 को प्रार्थी की उपस्थिति धरना प्रदर्शन स्थल के निकट होने मात्र से प्रार्थी को दंगा एवं षडयन्त्र में शामिल होना नहीं कहा जा सकता है। प्रार्थी शिक्षित है और उच्च शिक्षा प्राप्त है। उसकी अविधिक गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तारी मीमो उसे नहीं दी गई है। प्रबीर पुरक्यास्ता बनाम राज्य(एन0सी0टी0दिल्ली) 2024, डी0के0बसु 1997 में प्रदत्त गिरफ्तारी की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। गिरफ्तारी दिल्ली से की गयी है, नोएडा से दर्शाया गया है। अभिदर्शित अपराध प्रार्थी के विरूद्ध नहीं बनता है। समान प्रकार के मामले में प्रार्थी को गुडगांव न्यायालय से मानेसर मामले में जमानत प्राप्त हो चुकी है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत प्रदान की जाये।

5. अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए तर्क दिया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त नामजद नहीं है परन्तु साक्ष्य संकलन पर उसकी पहचान हुई है। प्रार्थी/अभियुक्त के घर से हड़ताल से संबंधित

बैनर, पैमप्लेट तथा दिशासमाचार पत्र की 600 प्रतियां बरामद हुई है। अभियुक्त मंगल के बयानो से भी प्रार्थी/अभियुक्त की संलिप्तता है। पर्याप्त साक्ष्य है, रिहाई के बाद गवाहो को प्रभावित करेगा।

6. अभियोजन प्रपत्रों में प्रार्थी/अभियुक्त की अभिकथित अपराध के षडयन्त्र में होने की भूमिका बतायी गई है। अभियुक्त द्वारा अन्य सहअभियुक्तो के साथ मिलकर रिचा ग्लोबल तथा अन्य व्हाटसअप ग्रुप के माध्यम से दिनांक 10.04.2026 को हजारो की संख्या में एकत्र होने के लिये श्रमिको को कहा गया है तथा मुख्य मार्ग को जाम करने के लिये कहा गया था। मालिक तथा मजदूरो के मध्य समझौता होने के बावजूद अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्त के साथ मिलकर मजदूरो को व्हाटसअप के माध्यम से जोड़कर लालच देकर भड़काया जाना और दिनांक 11.04.2026 को इकट्ठा होने के लिये उकसाया जाना बताया गया है जिसमें सहअभियुक्त द्वारा रोड जामकर भडकाऊ भाषण दिया गया। सहअभियुक्त के बयानो में अभियुक्त का नाम आया है। अभियोजन की ओर से बताया गया है कि अभियुक्त से प्राप्त डिजीटल साक्ष्य में यह पाया गया है कि वह मुख्य सूत्रधारक रूपेश राय तथा अन्य सहअभियुक्तो से सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है तथा विभिन्न ईमेज एवं ग्रुप डाटा चिरान्शु को सिग्नल एप के माध्यम से प्रेषित किया गया है। उसके द्वारा समूहो की 4 लिस्ट प्रेषित की गई है जिसका विवरण केस डायरी के पर्चा संख्या 30 में है जिसमें धरना प्रदर्शन करने से संबंधित ही विभिन्न समूह है। अभियुक्त द्वारा ही सहअभियुक्त रूपेश राय का मोबाइल नम्बर चिरान्शु को प्रेषित किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के घर से नोएडा श्रमिक आंदोलन से संबंधित बैनर, पोस्टर, पप्पलेट आदि बरामद हुए है। प्रकरण के समस्त तथ्यों में अभियुक्त की षडयन्त्रकारी भूमिका परिलक्षित है। घटना के प्रत्यक्षदर्शी अपराधियों की तुलना में षडयन्त्रकारी/नेतृत्वकार्ता की भूमिका अधिक ग्ररूतर होती है। विवेचना अभी प्रचलित है। मामले के तथ्यो व परिस्थितियों में अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है। प्रार्थिया/अभियुक्ता को आदेश की प्रति निःशुल्क प्रदान की जाये।

दिनांक :–29–05–2026

(सोमप्रभा मिश्रा)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
गौतमबुद्धनगर।
आई0डी0 नं0–यूपी–6136

Digitally signed by SOMPRABHA MISHRA
Date: 2026.05.30 12:01:11 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court